

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मशर (क.नि.)-द्वतीय, वाणज्य कर, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मशर (क.नि.)-द्वतीय, वाणज्य कर, काशीपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सराज हुसैन एवं नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 12.09.2017 से 21.09.2017 तक श्री एन.के. सन्हा लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्री सीराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक.18.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: कर निर्धारता
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख में)
2014-15	9115.62
2015-16	8150.58
2016-17	8675.22

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(i) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन बजट आवंटन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

वत्त सचिव > आयुक्त कर, वाणज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणज्य कर> डप्टी कमिश्नर, वाणज्य कर> सहायक आयुक्त, वाणज्य कर> वाणज्य कर अधिकारी,

4. (V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विध: लेखापरीक्षा में कर निर्धारता को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-

द्वितीय, वाणज्य कर, काशीपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह मार्च 2017 को वस्तुतः जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 01 - कर का न्यूनारोपण ` 87.05 लाख।

(i) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत कसी भी अनुसूची से भन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.)द्वतीय, वाणज्य कर, काशीपुर की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री साईं सैफ्टी एण्ड वक्स वयर काशीपुर, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ` 4283105.70/- की कॉटन गलव्स की बिक्री पर 5% की दर से कर निर्धारण कया गया। जब क कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांक:- आयु.क.उत्तरा.धारा-57अनुभाग.या.कर/2012-13 देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2012 द्वारा कॉटन गलव्स को अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में मानते हुए उसकी बिक्री पर 13.5% की दर से कर-आरोपणीय करने का निर्देश दिया गया था।

अतः `42,83,106/- की कॉटन गलव्स की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% (13.5% -5%) से `3,64,064/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिसपर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क कॉटन गलव्स होजरी के अन्तर्गत आता है जो अनुसूची-II B की प्रवष्टी स.-90 से आच्छादित है।

वभाग का उत्तर धारा-57 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में मान्य नहीं था।

प्रकरण वभाग/ शासन के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

(ii) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.) II वा.क. काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री फीमाकैम इण्डिया ल. काशीपुर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के बाद में व्यापारी द्वारा ₹ 8,99,01,087/- के वेट ग्राउण्ड कैल्शियम कार्बोनेट की प्रान्तीय एवं केन्द्रीय बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 05% की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार सन्दर्भित प्रकरण में 8.5% (13.5%-5%) के अन्तरीय दर से ₹ 76,41,592/- का अतिरिक्त दर आरोपणीय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि सन्दर्भित वस्तु लाईम स्टोन थी जो अनुसूची IIB की प्रवृष्टी सं. 67 से आच्छादित होने के कारण 05% की दर से कर योग्य थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लाईम स्टोन एवं वेट ग्राउण्ड कैल्शियम कार्बोनेट वाणज्यक रूप से दो अलग अलग वस्तुयें हैं। वेट ग्राउण्ड कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग वास्तव में Paint & Surface Coating तथा Paper filler & coating Pigments के रूप में होता है। इस प्रकार Wet Ground calcium Carbonate (WGCC) अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था।

प्रकरण वभाग/शासन के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

(iii) अवभाजित सवल संवदा से सम्बन्धित समाधान योजना पर समाधान शुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी परिपत्र सं. 380/दिनांक 28 मार्च 2013 के प्रावधानों के अनुसार सवल संवदाकारों के प्रकरण में 02% की दर से समाधान शुल्क देय होगा वशर्त कि संवदाकार द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उसके पूर्व अपना केन्द्रीय बिक्री कर पंजियन प्रमाण पत्र रद्द किये जाने हेतु Surrender कर दिया गया हो।

कार्यालय डप्टी क मशर (क.नि.)-II वा.क. काशीपुर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क सवल संवदाकार सर्व श्री एम. एच. कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. ल. टांडा उजैन, काशीपुर कर निर्धारण वर्ष- 2014-2015 के बाद में व्यौवहारी को आलोच्य वर्ष में कुल 3,45,79,366 के प्राप्त भुगतान के वरुध ` 1,58,86,410/- (`90,50,859+`68,35,551) के भुगतान पर 02% की दर से समाधान शुल्क निर्धारित कया गया था जब क व्यौवहारी द्वारा समाधान योजना का वकल्प प्रस्तुत करने तक या उससे पुर्व अपना केन्द्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द कये जाने हेतु वभाग को Surrender नहीं कया गया था। इस प्रकार सन्दर्भित प्रकरण में 2% (4%-2%) के अन्तरीय दर से `1,58,86,410/- के भुगतान पर `3,17,728/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज की देयता भी होगी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

(iv) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मशर (क.नि.) द्वितीय वाणज्य कर, काशीपुर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया क व्यापारी सर्वश्री पी. आर. फास्टनर्स प्रा. ल., काशीपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा `20,36,806.99/- की स्वनिर्मित फास्टनर्स की प्रान्तीय बिक्री दिनांक 29.05.2012 तक 4.5% की दर से तथा `55,45,450/- की बिक्री 5% की दर से की गई तथा `26543.8/- की स्वनिर्मित फास्टनर्स की प्रपत्र-सी के अभाव में तथा `569024.09 की प्रपत्र एफ के अभाव में 5% की दर से की गई थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है क प्रपत्र - सी तथा एफ के अभाव में वक्रय की गई वस्तु स्वनिर्मित फास्टनर्स न होकर ऑटो पार्टस थी जिस पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 के कसी भी अनुसूची में सम्मिलित न होने के कारण 13.5% कर की देयता थी। पत्रावली में संलग्न

प्रान्तीय वक्रय सूची से स्पष्ट होता है क दिनांक 01.07.2012 से 31.12.2012 तक `38,11,812/- की ऑटो पार्टस की बिक्री की गई। जिस पर 13.5% की दर से `5,14,595/- का कर आरोपणीय था जब क कर निर्धारता अधिकारी द्वारा `1,83,743/- का कर आरोपित किया गया था। इस प्रकार `3,30,852/- का अतिरिक्त कर-आरोपणीय था साथ ही व्यापारी द्वारा प्रपत्र - सी तथा एफ के अभाव में वक्रय कये गए कुल `5,95,568/- की आटो पार्टस की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% से `50,623/- का कर आरोपणीय होगा साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क व्यापारी ऑटो पार्टस का निर्माता नहीं है बल्कि फास्टनर्स (हार्डवेयर) का निर्माता है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पत्रावली में संलग्न क्रय-वक्रय सूची में स्पष्ट रूप से ऑटो पार्टस की खरीद तथा बिक्री का उल्लेख किया गया था।

प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर 1- अर्थदण्ड का अनारोपण `62.36 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धन कर अधिनियम 2005 की धारा -58(1)(vii) के अन्तर्गत कसी व्यौहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो देय कर का कम से कम 10% कन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रुपये से अधिक हो का दायी होगा।

कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-II वा.क. काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि 02 व्यापारियों द्वारा व भन्ना माहो में देय कर की कुल राशि `1,06,93,388/- को वलंब से जमा किया था।(ववरण संलग्न)

अतः वलंब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत `10,69,339/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

इस सम्बन्ध में इंगत किये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यापारी का नाम / टिन सं	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जना करने की ति थ	कर की धनरा श	आरोपणीय अर्थदण्ड
सर्वश्री तिरूपति एजेन्सी, काशीपुर टिन- 05002610489	2013-14	अप्रैल-13	05.06.13	1052862	105286.2
		मई-13	11.07.13	1317070	131707.0
		जून-13	03.08.13	818784	81878.4
		जुलाई-13	03.09.13	561452	56145.2
		अगस्त-13	11.10.13	815711	81571.1
		सतम्बर-13	11.11.13	885541	88554.1
		अक्टूबर-13	28.11.13	1388065	138806.5
		नवम्बर-13	27.12.13	1493689	149368.9
सर्वश्री महीर ऑटो सेल्स, काशीपुर टिन - 05006989207	2013-14	मई-13	26.06.13	439330	43933.0
		जुलाई-13	26.08.13	426722	42672.2
		अगस्त-13	25.10.13	588416	58841.6
		नवम्बर-13	26.12.13	484140	48414.0
		दिसम्बर-13	29.04.14	421606	42160.6
			योग	10693388/-	1069338.8/-

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10(ख) में यह प्रावधान किया गया है, कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यदि मथ्या जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के अंतर्गत है। तो धारा 10(क) के अंतर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा 10 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग)(घ) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यथा स्थिति उसे अनुदत्त किया था उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् लेखत आदेश द्वारा शक्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो।

कार्यालय इण्टी कमिशनर (क.नि.) द्वितीय वाणज्य कर, काशीपुर की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सी.बी. एस. टेक्नोलॉजी (प्रा. ल.) काशीपुर, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा 22 प्रपत्र-सी का प्रयोग कर ₹35,08,384/- का हाईड्रोलिक क्रेन, Pocs Goods, वार्निश प्लास्टिक स्पॉटर्स का क्रय किया था। जबकि व्यापारी उक्त वस्तुओं की खरीद के लिए केन्द्रीय पंजीयन में अधिकृत नहीं था व्यापारी द्वारा प्रपत्र सी द्वारा क्रय किए माल का ववरण संलग्न है।

अतः व्यापारी द्वारा अधिकृत रूप से माल क्रय किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (क) अंतर्गत कर का डेढ़ गुना ₹7,10,448/(35,08,384/-x13.5%x1.50) अर्थदण्ड आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि व्यापारी बायो टॉयलेट का निर्माता है। तथा Pocs Goods वार्निश व प्लास्टिक स्पुल्स व्यापारी का रॉ मैटीरियल है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त क्रय किए गए वस्तु बायो टॉयलेट का रॉ मैटीरियल नहीं है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(iii) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत झूठे दावे कये जाने पर न्यूनतम 5000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-II वा.क काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री गोल्डन टिम्बर मर्चेंट काशीपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में दिनांक 30.05.2012 के वाद टिम्बर की खरीद पर ₹14,85,334/- के आई.टी.सी का दावा किया गया था। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार्य किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम कये जाने पर उसके वरुद्ध ₹44,56,002/-का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यौहारी का आई.टी.सी क्लेम कये जाने के पीछे कोई दूषित मंशा नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि व्यौहारी द्वारा आई.टी.सी का गलत दावा किया गया जबकि नियमानुसार देय नहीं था। कर निर्धारण के समय पत्रावली की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समीक्षा कये जाने के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था जिससे स्पष्ट था कि व्यौहारी की मंशा आई.टी.सी का गलत लाभ लये जाने की थी।

प्रकरण वभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -74/2017-18

क्रमांक	इनवाइस न.	दिनांक	फार्म सं.	वस्तु का नाम	धनरा श
1.	02	05.07.2010	0449530	हाइड्रो लक क्रेन	70,000/-
2.	272	05.06.2010	0449531	प्लास्टिक स्पुलस	74,760/-
3.	438	30.11.2010	0449532	प्लास्टिक	27,720/-
4.	020	16.02.2013	0449538	पोक्स गुडस	1,10,075/-
5.	021	16.02.2013	0449538	Pocs Goods	62,600/-
6.	141	14.09.2012	0449540	Pocs Goods	2,29,600/-
7.	142	29.09.2012	0449540	Pocs Goods	81,100/-
8.	c-13149	06.03.2013	0449542	Pocs Goods	2,784/-
9.	013	09.04.2012	0449543	वार्निश	2,50,113/-
10.	159	20.06.2012	0449543	वार्निश	2,50,113/-
11.	207	12.07.2012	0449544	वार्निश	2,50,113/-
12.	236	24.07.2012	0449544	वार्निश	2,50,113/-
13.	528	03.09.2012	0449548	Pocs Goods	75,100/-
14.	87	04.08.2012	0449551	वार्निश	121518/-
15.	131	26.10.2012	0449553	वार्निश	252473
16.	167	24.12.2012	0449553	वार्निश	252473
17.	1563	31.12.2012	0449561	Pocs Goods	119894/-
18.	080	16.02.2013	0449570	Pocs Goods	56,000/-
19.	3656	11.07.2012	0449571	Pocs Goods	5,130/-
20.	4300	06.03.2013	0449572	Pocs Goods	15,404/-
21.	4322	19.03.2013	0449572	Pocs Goods	25,075/-
22.	15119	03.04.2012	0449572	Pocs Goods	9,996/-
23.	16090	06.03.2013	0449574	Pocs Goods	7,360/-
24.	1	17.05.2012	0449585	Pocs Goods	26,300/-
25.	4	15.02.2013	0449588	Pocs Goods	76,110/-
26.	844	01.07.2012	0449598	प्लास्टिक स्पुलस	1,20,000/-
27.	983	16.12.2012	0449599	प्लास्टिक स्पुलस	145340/-
28.	26	13.05.2013	0104896	वार्निश	3,78,709/-
29.	27	22.05.2013	0104903	Pocs Goods	1,10,075/-
30.	35	17.06.2013	0104903	Pocs Goods	19,690/-
31.	36	17.06.2013	0104903	Pocs Goods	32,646/-
				योग	35,08,384/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-09/2015-16	-	03
CT-44/2016-17	01	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी
शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु डप्टी कमश्नर (क.नि.)-द्वितीय, वाणज्य कर, काशीपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री आर.एल. वर्मा	डप्टी कमश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डप्टी कमश्नर (क.नि.)-द्वितीय, वाणज्य कर, काशीपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -74/2017-18

लेखापरीक्षा अ धकारी राजस्व क्षेत्र